कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 575 दिनांकः– 12.7.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **सारण्डा वन प्रमंडल अन्तर्गत गुआ–सलाई पथ के कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 एवं कि0मी0 11.00 से कि0मी0 29.00 के वन क्षेत्र वाले पथांस का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य हेतु वनभूमि का अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **1. भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक FP/JH/Road/23799/2017/1244 दिनांक 16.05.2017.**
2. वन विभागीय पत्रांक वनभूमि–21/2016–2254 दिनांक 29.05.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव को समेकित कर एक प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश प्राप्त है। इसके अनुपालन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 426 दिनांक 02.06.2017 के संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल के ज्ञापांक 1002 दिनांक 25.05.2017 तथा ज्ञापांक 1149 दिनांक 12.06.2017 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचना दी गई है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 1328 दिनांक 05.07.2017 (छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 626 दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्रासंगिक पत्रों के क्रम में प्रतिवेदित किया है कि ***"झारखण्ड सरकार द्वारा ही इस पथ के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु दो अलग–अलग भागों यथा कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 एवं कि0मी0 11.00 से कि0मी0 29.00 की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति अलग होने के कारण दोनों भागों की निविदा भी अलग–अलग निकाली गई है तथा तत्संबंधी एकरारनामा भी अलग–अलग है जिसे समेकित रूप से वनभूमि अपयोजन कार्य करने पर भविष्य में लेखा आपत्ति की संभावना बनी रहेगी। इसी कारणवश प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अलग–अलग अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया गया था, जिसपर पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है।"***

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिये गये तथ्य भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल नहीं है। वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा प्राप्त सभी अनुलग्नकों को इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में सरकार अपने स्तर से निर्णय लेना चाहेगी। निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/7/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\SUNIL\Proposal (K)\Road\Gua Salai (2.00 Km to 11.00 Km & 11.00 to 29.00 Km

11.7.17